भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2693

मंगलवार, दिनांक 12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

रूफटॉप सौर उपकरणों की साइबर सुरक्षा जांच

2693 श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूफटॉप सौर इन्वर्टरों में साइबर सुरक्षा उल्लंघन के कोई मामले सामने आये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो केंद्रीकृत साइबर-जांच तंत्र को लागू करने का क्या औचित्य है;

(ग) क्या सरकार ने साइबर सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर, चीन में विनिर्मित सोलर चिप पर निर्भरता कम करने या उनके उपयोग को प्रतिबंधित करने के उपायों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) एवं (ख): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), फरवरी 2024 से देश भर में प्रधान मंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PMSG:MBY) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2026-27 तक आवासीय क्षेत्रों में एक करोड़ घरों में रूफटॉप सौर स्थापनाओं के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

दिनांक 05.08.2025 की स्थिति के अनुसार, योजना के अंतर्गत कुल 16.78 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं तथा योजना के अंतर्गत रूफटॉप सौर स्थापनाओं के लिए साइबर सुरक्षा उल्लंघन की कोई घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, इन संयंत्रों को भविष्य में ऐसी कोई घटनाओं से सुरक्षित रखने के लिए, एमएनआरई ने दिनांक 21.07.2025 को पीएमएसजी:एमबीवाई के अंतर्गत उपयोग किए जाने वाले इनवर्टरों तथा संचार उपकरणों के लिए अनुपालना आवश्यकताएं जारी की हैं।

(ग) एवं (घ): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, चीन में विनिर्मित सौर सेलों तथा मॉड्यूलों पर निर्भरता को कम करने के लिए, स्वदेशी सौर विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु निरंतर नीतियां लाता रहता है। इस संबंध में की गई विभिन्न पहले अनुलग्नक में दी गई हैं।

'रूफटॉप सौर उपकरणों की साइबर सुरक्षा जांच' के संबंध में पूछे गए दिनांक 12.08.2025 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2693 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

स्वदेशी सौर विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य के साथ साथ निम्नलिखित पहल शामिल हैं:

(i) **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना**: भारत सरकार 24,000 करोड़ रु. के परिव्यय से उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को कार्यान्वित कर रही है, ताकि उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों में गीगावाट स्तर की स्वदेशी विनिर्माण क्षमता हासिल की जा सके। इस योजना के अंतर्गत, 48,337 मेगावाट की पूर्ण/आंशिक रूप से एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण यूनिटों की स्थापना के लिए आबंटन पत्र (लेटर्स ऑफ अवार्ड) जारी किए गए हैं।

(ii) **स्वदेशी सामग्री की आवश्यकता (DCR)**: एमएनआरई की कुछ वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत, अर्थात् सीपीएसयू योजना चरण-II, पीएम-कुसुम घटक-ख और ग, तथा पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना, जिसमें सरकारी सब्सिडी दी जाती है, स्वेदशी स्रोतों से सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों की खरीद करना अनिवार्य किया गया है।

(iii) **सार्वजनिक खरीद में "मेक इन इंडिया" को वरीयता**: 'उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के 'सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश' के अनुसार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए खरीद वरीयता (स्थानीय सामग्री से जुड़ी) अधिसूचित की थी, जिसमें अन्य के साथ-साथ उन सभी वस्तुओं और सेवाओं या कार्यों की सूची की पहचान की गई थी जिनके संबंध में पर्याप्त स्थानीय क्षमता है और स्थानीय प्रतिस्पर्धा उपलब्ध है तथा यह अनिवार्य किया गया था कि केवल "श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता" ही उपरोक्त वस्तुओं/सेवाओं/कार्यों के लिए बोली लगाने हेतु इस अनिवार्यता के साथ पात्र होंगे कि न्यूनतम स्थानीय सामग्री कम से कम 50% हो ।

(iv) **सौर पीवी सेलों, मॉड्यूलों सोलर इन्वर्टरों और सोलर ग्लास के आयात पर मूल सीमा शुल्क (BCD)लगाना**: सरकार ने सौर पीवी सेलों, मॉड्यूलों, सोलर इन्वर्टरों और सोलर ग्लास के आयात पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) लगाया है।

(v) **सीमा शुल्क रियायत समाप्त करना**: एमएनआरई ने दिनांक 02.02.2021 से सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की प्रारंभिक स्थापना के लिए सामग्री/उपकरण के आयात के लिए सीमा-शुल्क रियायत प्रमाणपत्र जारी करना समाप्त कर दिया है।

(vi) **सौर सेलों और मॉड्यूलों के विनिर्माण हेतु पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट**: सरकार ने सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों के विनिर्माताओं के लिए दिनांक 23.07.2024 की अधिसूचना संख्या 30/2024-सीमा शुल्क की सूची 41 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क में छूट दी है।

****